

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जून 2016—ज्येष्ठ 30, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2016

क्र. एफ-ए-1-16-2014-एक-(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

2. अनुसूची में,—

(क) शीर्षक "ग्यारह—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग" के अधीन,

(एक) भाग (आ) में, अनुक्रमांक 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्,—

12. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959.

(दो) भाग (ऊ) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात्,—

11. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (राजपत्रित) सेवा.

12. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (अराजपत्रित) सेवा.

(ग) शीर्षक "बयालीस—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग" के अधीन,

(एक) भाग (आ) में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएं, अर्थात्,—

4. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959.
- (दो) भाग (ऊ) में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए, अर्थात्,—
8. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (राजपत्रित) सेवा.
9. मध्यप्रदेश जनशक्ति नियोजन संचालनालय (अराजपत्रित) सेवा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.